मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी......... सिकराय ...(दौसा)...........

मोहर सिंह वगैरह

सरकार बनाम ....

किस्म मुकदमा ....251(क) RTA......मु० नं०....12/20..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.20	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। उभय पक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। प्रार्थीगण ग्राम डोकरवाड़ा के ख.नं. 1271 व 1272 की खातेदारी भूमि में जाने हेतु ख.नं. 1153 में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। जवाब स्टेट व रिकार्ड अनुसार ख.नं. 1153 गै.मु. आबादी दर्ज है। गै.मु. आबादी भूमि में रास्ता स्वीकृति की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र 251(क) विधिक प्रावधानों अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। Sd/- (रणजीत सिंह) 28.12.20 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.03.09 10:28:17 IST
Reason: SelfAttested